राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः पराचि/आप्र/PEAIS/2011/ 619 जयपुर, दिनांक 22.7.11

:: आदेश ::

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कोष, कार्मिक एवं गतिविधियां हस्तान्तरित/क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा **Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme** लागू की गई है।

योजना के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ–साथ बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जावेगा। बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन राज्य स्तर पर किया जाना है चयन की प्रक्रिया निर्धारण करने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु एक राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (State Panchayat Performance Assessment Committee, SPPAC) का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के मूल्यांकन हेतु सर्केतांक, मार्किंग स्कीम एवं प्रश्नावली का मॉडल प्रारुप भिजवाया गया है जिसे राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अन्तिम रूप दिया जावेगा। उक्त प्रारूप में वर्णित सूचनाओं के आधार पर बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन करने हेतु एक ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति का एतद् द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1.	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक अभियन्ता, नरेगा	सदस्य
3.	विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी:–

1. राज्य/जिला स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पंचायत समिति से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रारूपों में पूर्ती कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
2. ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त कर बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायत (प्रत्येक ब्लॉक के लिये एक) का चयन करना एवं स्वयं की अभिशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना।
3. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य/जिला स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना।
4. ग्राम पंचायतों के चयन प्रक्रिया की समय–समय पर संवीक्षा करना।
5. पुरस्कार राशि के उपयोग सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राशि का उपयोग कर निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करना।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर–जिला समस्त।
7. समस्त अधिकारी गण, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला परिषद समस्त।
10. उप खण्ड अधिकारी, समस्त।
11. विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, नरेगा, पंचायत समिति–समस्त।

शासन उप सचिव
जिला आयोजना